सत्यमेव जयते
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour/Programme/VC/13/2017/RU-III (3)

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
Dated: 12st September, 2017

To,

1. The Chief Secretary,
   Government of Madhya Pradesh,
   Bhopal (Madhya Pradesh)

2. The Secretary,
   SC & ST Welfare Department,
   Govt. of Madhya Pradesh,
   Bhopal, (Madhya Pradesh)

3. The Director General of Police,
   Government of Madhya Pradesh
   Bhopal (Madhya Pradesh)

4. Collector,
   District-Jabalpur,
   (Madhya Pradesh)

Sub: Tour Report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to visit Districts-Jabalpur (Madhya Pradesh) from 29th April, 2017 to 30th April, 2017.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith copy of tour report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST to visit Districts-Jabalpur (Madhya Pradesh) from 29th April, 2017 to 30th April, 2017 for information and necessary action.

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. The Assistant Director, National Commission for Scheduled Tribes, Regional Office Bhopal, Room No.309, Nirman Sadan, CGO Building, 52-A, Area Hills, Bhopal-462011(Madhya Pradesh)

2. NIC, NCST uploaded on the web site.

प्रवास प्रतिवेदन

TOUR REPORT DATED 29.04.2017 TO 30.04.2017

(DISTRICT JABALPUR)

जिला जबलपुर मध्यप्रदेश

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार द्वारा आयोग मुख्यालय के बेतार संख्या TP/VC/NCST/2017/10 दिनांक 25.04.2017 के अनुसार दिनांक 29.04.2017 से 30.04.2017 तक अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का निरीक्षण करने के लिए एवं स्थानीय अनुसूचित जनजातिय प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के लिए श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) का दौरा किया। आयोग मुख्यालय द्वारा सूचना मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, संबंधित जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक तथा आयोग के मध्य प्रदेश स्थित भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक निदेशक एवं अन्य सर्वसंबंधितों को सूचित किया गया।

प्रवास का विस्तृत तिथिवार विवरण इस प्रकार से है :–

दिनांक 29.04.2017 – शनिवार

दिल्ली से वायुमार्ग से प्रस्थान कर जबलपुर आगमन, तदुपरांत सड़क मार्ग द्वारा जबलपुर सर्किट हाउस के लिए प्रस्थान और रात्रि विश्राम जबलपुर सर्किट हाउस में किया।

दिनांक 30.04.2017 – रविवार

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नरईनाला, जबलपुर के संबंध में संबंधित अधिकारियों से चर्चा।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नरईनाला, जबलपुर के संबंध में संबंधित अधिकारियों से माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने जानना चाहा कि इसकी स्थापना कब हुई और इसका संचालन कौन करता है, क्या भवन निर्माण का काम पूरा हो चुका है, किस–किस कक्षा में बालकों को प्रवेश दिया जा रहा है और कुल कितनी सीटे विद्यालय में स्वीकृत की गई हैं और अध्यापकों और अन्य स्टाफ की क्या स्थिति है, बालक और बालिकाओं के छात्रावासों में सफाई की क्या व्यवस्था की गई है। इस संबंध में प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नरईनाला, जबलपुर ने आयोग की माननीय उपाध्यक्ष महोदया को बताया कि विद्यालय की स्थापना वर्ष 2011 में हुई एवं इसका संचालन मध्यप्रदेश ट्रायवल वेलफेयर रेजीडेंशियल एण्ड आश्रम एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसायटी, भोपाल करता है। विद्यालय में कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रदान की जाती है। प्राचार्य, ने बताया कि विद्यालय में कुल 420 सीटें स्वीकृत हैं जबकि वर्तमान समय में 414 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बालक एवं बालिकाओं के छात्रावासों में सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। स्टाफ के संबंध में बताते हुए प्राचार्य ने

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

बताया कि विद्यालय में कुल 45 पद हैं जिनमें से कुल 11 पदों पर नियुक्ति हो पाई है जबकि 31 पद रिक्त हैं।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जबलपुर ने माननीय उपाध्यक्ष महोदया को जिला–जबलपुर में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए बनाए जा रहे भवन निमार्ण की जानकारी दी। जो इस प्रकार है:–

अनुसूचित जनजाति भवन निर्माण कार्यों की जानकारी

क.	संस्था / कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	स्वीकृत वर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	प्रदाय राशि	व्यय राशि	निर्माण एजेन्सी	कार्य की स्थिति
1.	पो.मै. 100 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास जबलपुर का निर्माण	छात्रावास	2009–10	राज्य योजना	146.30	146.30	140	एलयूएन	पूर्ण
2.	आवासीय आदर्श एकलव्य विद्यालय नरईनाला (बरबटी)	आवासीय विद्यालय	2010–11	अनुच्छेद 275(1)	1200.00	1200.00	1135.61	पीआईयू	फिनिशिंग का कार्य पूर्ण
3.	आवासीय विद्यालय विशेष पिछड़ी जनजाति रामपुर 600 सीटर (छापर)	आवासीय विद्यालय	2010–11	सी.सी.डी. प्लान	1500.00	1380.00	1247.19	पीआईयू	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर
4.	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास कुण्डम	छात्रावास	2012–13	केंद्र प्रवर्तित योजना	87.00	87.00	81.60	पीआईयू	पूर्ण
5.	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास बघराजी	छात्रावास	2012–13	4444	87.00	87.00	56.00	पीआईयू	पूर्ण
6.	पो.मै. 100 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास न्यू रामनगर आधारताल जबलपुर	छात्रावास	2014–15	राज्य योजना मद	104.00	95.00	72.05	पीआईयू	छत स्तर कार्य
7.	अनुसूचित जनजाति क्रीड़ा परिसर जबलपुर	क्रीडा परिसर	2015–16	राज्य योजना मद	1156	100.00	0.00	27.19	नींव कार्य प्रगति पर
8.	पो.मै. 100 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास कुण्डम	छात्रावास	2016–17	राज्य योजना मद	134.66	134.66	0.00	0.00	अप्रारंभ
9.	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बेलखेडा	छात्रावास	2016–17	राज्य योजना मद	134.66	134.66	0.00	0.00	निविदा कार्यवाही

माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने अपर कलेक्टर (प्रथम) जबलपुर से गोड़ जनजाति के परम्परागत देव स्थल को राजस्व रिकार्ड में अंकित किए जाने एवं सामुदायिक भवन के संबंध में जानकारी मांगी। जिसके संबंध में अपर कलेक्टर (प्रथम) जबलपुर ने उपाध्यक्ष महोदया को अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख को दिनांक 26.12.2015 को पत्र लिखा जा चुका है तथा सिविल स्टेशन नजूल ब्लॉक नं. 8, 9 के प्लाट नं. 15, 15 एवं 3 में लगभग 87120 वर्गफुट जमीन सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध करायी गई है तथा जबलपुर स्थित आधारताल तालाब के पास बड़ामहादेव की पूजा पाठ वर्षों से गोड़ जनजाति के द्वारा किए जाने के विषय में जानकारी पत्र दिनांक 24.08.2011 के तहत तहसीलदार से मांगी गई है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने प्राचार्य से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नरईनाला, जबलपुर के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के बाद प्राचार्य एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जबलपुर को निम्नलिखित बिन्दुओं पर सलाह दीः–

1. बालक एवं बालिकाओं के छात्रावासों में साफ–सफाई का अतिरिक्त ध्यान रखा जाए एवं विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण किया जाए।
2. विद्यालय में रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए जिससे विद्यालय में अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से चल सके।
3. विद्यालय में समय–समय पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए जिससे अनुसूचित जनजाति के बालकों में आत्मविश्वास पैदा किया जा सके।
4. जिले में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए बनाए जा रहे भवनों के निमार्ण के कार्य में तेजी लाई जाए और जिन भवनों का निमार्ण कार्य लगभग पूरा हो चुका है उन विद्यालयों में शीघ्र शिक्षा की व्यवस्था को प्रारम्भ किया जाए।
5. गोड़ जनजाति के परम्परागत देव स्थल को राजस्व रिकार्ड में अंकित किए जाने एवं सामुदायिक भवन के निमार्ण के कार्य में शासन द्वारा तुरंत संज्ञान लिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा पुलिस परिवार परामर्श केंद्र, जबलपुर का निरीक्षण

माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा पुलिस परिवार परामर्श केंद्र, जबलपुर के दौरे के दौरान जाना कि इस सेन्टर का संचालन सवधार होम, जबलपुर, पुलिस लाइन, जेल रोड़ द्वारा किया जाता है। यहां पर उन महिलाओं, बच्चे, लड़कियों को रखा जाता है, जिनको पुलिस लाती है। इस कार्य की देखरेख एक स्वयं सेवी संस्था करती है। इस संबंध में उपाध्यक्ष महोदया ने अनुशंसा की है कि स्वयं सेवी संस्था द्वारा महिलाओं, लड़कियों की देखभाल के लिए संस्था को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना चाहिए।

पुलिस परिवार परामर्श केंद्र, जबलपुर का निरीक्षण

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा स्थानीय अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधियों एवं व्यक्तियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा।

जय आदिवासी युवा शक्ति समूह, जबलपुर के जनप्रतिनिधियोंएवं स्थानीय प्रतिनिधियों ने मिलकर विशेष मुद्दों पर आयोग की माननीय उपाध्यक्ष महोदया का ध्यान आकर्षित किया :–

1. अनुसूचित क्षेत्रों में पांचवीं और छठी अनुसूची को सख्ती से लागू करना।
2. अनुसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में संविधान के तहत स्थायी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (टीएसी) की समय–समय पर बैठक आयोजित कर आदिवासियों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास कायम करना, उनके अधिकार, पहचान और सम्मान की रक्षा करने के लिए उपाए करने की आवश्यकता है।
3. वन अधिकार कानून 2005 का सख्ती से अनुपालन किया जाए।
4. भारत के विभिन्न राज्यों में विलुप्त हो रहे जनजातिय समुदाय जैसे– बैगा जनजाति, असुर जनजाति, जारवा, ओंग जनजाति, पहाड़िया जनजाति जैसे सभी आदिम जनजातियों की सुरक्षा और बचाव का विशेष प्रावधान किया जाए।
5. आजादी के बाद से 70 वर्षों में देशभर में विस्थापित हुए लगभग 3 करोड़ अनुसूचित जनजातियों के पुनर्वास, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के पुख्ता इंतजाम किए जांए।
6. अनुसूचित जनजातियों की जमीन पर मौजूदर खजिन संपदा पर अनुसूचति जनजातियों के व्यक्तियों का प्रथम अधिकार हो, उसके लिए पैसा कानून का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।
7. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में व्याप्त भूखमरी, कुपोषण, बद्दत्तर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन जैसी मूलभूत समस्याओं का निराकरण के लिए एक स्वायत्त आयोग का गठन किया जाए।
8. आयोग की माननीय उपाध्यक्ष महोदय से जबलपुर में डिडोंरी से संस्कृति समूह मिला। जिन्होंने मांग की कि सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना चाहिए और अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति को बचाने के लिए अनुदान मिलना चाहिए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जबलपुर में डिडोंरी से आय संस्कृति समूह भेंट

उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चा के उपरांत माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने जय आदिवासी युवा शक्ति समूह, जबलपुर के उपरोक्त बिन्दुओं पर राज्य सरकार/कलेक्टर से जानकारी मंगाने की बात कही एवं कार्यवाही हेतु आश्वासन दिया।

(सुश्री अनुसुइया उईके)
उपाध्यक्ष

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi